2016 का विधेयक सं.4

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह 18 जनवरी, 2016 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 89 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 89 में,-

(क) उप-धारा (1) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खण्ड (i), (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) उप-धारा (6) में विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (2) के खण्ड (i), (ii) और (iv) में विनिर्दिष्ट पदों पर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (2) के खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट पदों पर" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) विद्यमान उप-धारा (6-क) को उप-धारा (6-कक) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित उप-धारा (6-कक) के पूर्व निम्नलिखित

प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(6-क) उप-धारा (2) के खण्ड (i) और (iv) में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद् द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार, राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड द्वारा उक्त पदों के लिए चयनित व्यक्तियों में से ऐसी रीति से की जायेगी, जैसीकि विहित की जाये।"

3. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 90 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 90 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (iii) और (v) में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (i), (iii), (iv) और (v) में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम सेवक और लिपिकवर्गीय सेवाओं के पदों की भर्ती संबंधित जिला परिषद् द्वारा की जाती है। यह महसूस किया गया कि भिन्न-भिन्न जिलों में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त की गयी योग्यताएं पृथक्-पृथक् होती हैं जिससे असंतोष का भाव पैदा होता है।

राज्य सरकार ने पहले ही विनिश्चय कर लिया है कि 3600/- और उससे कम ग्रेड वेतन वाले कर्मचारियों का चयन राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से किया जायेगा।

इसलिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 और 90 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित था।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 18 जनवरी, 2016 को राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश सं. 2) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, भाग 4(ख), असाधारण में दिनांक 27 जनवरी, 2016 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

सुरेन्द्र गोयल,

प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड (2), यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (i) और (iv) में विनिर्दिष्ट पदों पर चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया के उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

सुरेन्द्र गोयल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

89. राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् सेवा का गठन.- (1) राज्य के लिए राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् सेवा के रूप में अभिहित और इस धारा में इसके पश्चात् सेवा के रूप में निर्दिष्ट एक सेवा गठित की जायेगी और उसके लिए भर्ती जिलेवार की जायेगी:

परन्तु उप-धारा (2) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए चयन राज्य स्तर पर किया जायेगा।

(2) सेवा को विभिन्न प्रवर्गों में विभाजित किया जा सकेगा, प्रत्येक प्रवर्ग को भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा और उसमें-

(i) ग्राम सेवक;
(ii) ग्राम सेविकाएं;
(iii) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक;
(iv) लिपिकवर्गीय स्थापन (लेखाकारों और कनिष्ठ लेखाकारों को छोड़कर); और
(v) प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक;

होंगे।

(3) से (5) XX XX XX XX XX

(6) उप-धारा (2) के खण्ड (i), (ii) और (iv) में विनिर्दिष्ट पदों पर और उप-धारा (3) के अधीन काडर में सम्मिलित पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद् द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार, धारा 90 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जिला स्थापन समिति

द्वारा जिले में की किसी श्रेणी या प्रवर्ग में के पदों के लिए चयनित व्यक्तियों में से की जायेगी।

(6-क) उप-धारा (2) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद् द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार, ऐसी एजेन्सी द्वारा उक्त पदों के लिए चयनित व्यक्तियों में से ऐसी रीति से की जायेगी, जैसीकि विहित की जाये।

(6-ख) से (11) XX XX XX XX XX

90. जिला स्थापन समिति का गठन और कृत्य.-

(1) XX XX XX

(2) जिला स्थापन समिति-

(क) जिले में की पंचायत समिति और जिला परिषद् में की सेवा में विद्यमान धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (iii) और (v) में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर विभिन्न श्रेणियों और प्रवर्गों में के पदों के लिए चयन, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार करेगी;

(ख) से (घ) XX XX XX XX

XX **XX** **XX** **XX** **XX** **XX**

(Authorised English Translation)

Bill No.4 of 2016

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2016

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-Seventh Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 18th January, 2016.

2. **Amendment of Section 89, Rajasthan Act No. 13 of 1994.-** In section 89 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), hereinafter referred to as the principal Act,-

(a) in proviso of sub-section (1), for the existing expression "Specified in clause (iii)", the expression "specified in clause (i), (iii) and (iv)" shall be substituted;

(b) in sub-section (6), for the existing expression "to the posts specified in clauses (i), (ii) and (iv) of sub-section (2)", the expression "to the posts specified in clause (ii) of sub-section (2)" shall be substituted;

(c) the existing sub-section (6-A) shall be renumbered as sub-section (6-AA) and before sub-section (6-AA), so renumbered, the following shall be substituted namely :-

(6-A) Appointment by direct recruitment to the posts specified in clauses (i) and

(iv) of sub-section (2) shall be made by a Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, in accordance with the rules made in this behalf by the State Government, from out of the persons selected for the posts by Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board in such manner as may be prescribed.".

3. Amendment of section 90, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In clause (a) of sub-section (2) of section 90 of the principal Act, for the existing expression "except the posts specified in clause (iii) and (v) of sub-section (2) of section 89", the expression "except the posts specified in clauses (i), (iii), (iv) and (v) of sub-section (2) of section 89" shall be substituted.

4. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2016 (Ordinance No. 2 of 2016) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per the existing provisions of Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the recruitment for the posts of Gram Sevak and ministerial services in Panchayati Raj Institutions is conducted by concerned Zila Parishad. It has been felt that merits achieved by the candidates in different districts vary which create a sense of dissatisfaction.

State Government has already decided that the selection of the employees of the grade pay of 3600/- and less would be held through Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board.

Therefore, section 89 and 90 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 were proposed to be amended.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2016 (Ordinance No. 2 if 2016) on 18th January, 2016, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 27th January, 2016.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

सुरेन्द्र गोयल,

Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause (2) of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules for providing procedure for selection and appointment on the posts specified in clauses (i) and (iv) of sub-section (2) of section 89.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

सुरेन्द्र गोयल,

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ ACT, 1994
(Act No. 13 of 1994)

XX XX XX XX XX XX XX

89. Constitution of the Rajasthan Panchayat Samiti an Zila Parishad Service .- (1) There shall be constituted for the State service designated as the Rajasthan Panchayat Samiti and Zila Parishad Service and hereafter in this section referred to as the service and recruitment thereto shall be made district-wise:

Provided that selection for the posts specified in clause (iii) of sub-section (2) shall be made at the State level.

(2) The Service may be divided into different categories, each category being divided into different grades, and shall consist of –

(i) Village level workers ;
(ii) Gramsevikas ;
(iii) Primary and Upper Primary school teachers ;
(iv) Ministerial establishment, (except Accountants and Junior Accountants) ; and
(v) Prabodhak and Senior Prabodhak.

(3) to (5) XX XX XX XX XX XX XX

(6) Appointment by direct recruitment to the posts specified in clauses (i), (ii) and (iv) of sub-section (2) and to the posts encadred under sub-section (3) shall be made by a Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, in accordance with the rules made in this behalf by the State Government from out of the persons selected for the posts in a grade or category in the district by the District Establishment Committee referred to in sub-section (1) of section 90.

(6-A) Appointment by direct recruitment to the posts specified in clause (iii) of sub-section (2) shall be made by a Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, in accordance with the rules made in this behalf by the State Government, from out of the persons selected for the posts by such agency in such manner as may be prescribed.

(6B) to (11) XX XX XX XX XX

90. Constitution and functions of the District Establishment Committee.- (1) XX XX XX XX XX

(2) The District Establishment Committee shall –

(a) make selection on the posts in different grades and categories except the post specified in clause (iii) and (v) of sub-section (2) of section 89 existing in the service in the Panchayat Samiti and the Zila Parishad in the district in accordance with the rules made by the State Government in this behalf ;

(b) to (d) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX XX

2016 का विधेयक सं.4

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
विशिष्ट सचिव।

(सुरेन्द्र गोयल, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 4 of 2016

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2016

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Special Secretary.

(Surendra Goyal, **Minister-Incharge**)